BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 17 जनवरी, 2025 | CRACKDOWN BULANDSHAHR | थाना सिकन्द्राबाद

शातिर बदमाश के साथ थाना सिकन्द्राबाद पुलिस की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा व कारतूस बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 16/17.01.2025 की रात्रि को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम रात्रि गश्त व वांछित अभियुक्तों की तलाश में खुर्जा रोड पर गस्त में मामूर थी कि तभी एक संदिग्ध व्यक्ति बन्द पड़ी फैक्ट्री के सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया जोकि पुलिस टीम को अपनी तरफ आता देखकर फेक्ट्री के बराबर से जाने वाले कच्चे रास्ते पर मुड़कर जाने लगा। जिसपर पुलिस टीम ने व्यक्ति का पीछा करते हुए व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया तो नहीं रूका और बदमाश द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान 1. अयान पुत्र इरशाद उर्फ भोलू निवासी मौहल्ला गद्दीवाडा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के रुप में हुई हैं, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा व कारतूस बरामद हुए है।

उल्लेखनीय है कि बदमाश शातिर किस्म का अपराधी हैं जिसके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 15.01.2025 को थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला गद्दीवाड़ा में अवैध हथियार से जाने से मारने की नियत से फायरिंग एवं पत्थरबाजी की घटना कारित गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं 50/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109/125/352/115(2) बीएनएस, 3/25/27 आयुध अधि0 व 7 क्रि0ला0 अमेन्डमेन्ट अधि0 पंजीकृत है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. अयान पुत्र इरशाद उर्फ भोलू निवासी मौहल्ला गद्दीवाडा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर।

2- 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।

अभियुक्त अयान का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-322/24 धारा 307 भादवि व 3/25आयुध अधि0 थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर।

2- मुअसं-50/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109/125/352/115(2) बीएनएस, 3/25/27 आयुध अधि0 व 7 क्रि0ला0 अमेन्डमेन्ट अधि0 थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर।

3- मुअसं-52/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं 52/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- श्री रविरतन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्द्राबाद।

2- उ0नि0 शैलन्द्र कुमार सोलंकी, उ0नि0 कपिल बालियान, उ0नि0 अमित पटेरिया।

3- है0का0 प्रवीन कसाना, का0 सतवीर।

<u>मीडिया सेल बुलंदशहर</u>